



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- spsrn-up@nic.in



प्रेस-नोट, जनपद चौरा

दिनांक- 21.09.2025

जनपद में चोरी की घटनाओं के शीघ्र रोकथाम/अनावरण व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चौरा अंतर्गत ग्राम अमवाकला, चौरा में कम्पोजिट शाप अंग्रेजी शराब एवं वियर की दुकान की चोरी के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक बोलेरो मैक्स पिकप वाहन बिना नम्बर व 18 पेटी अंग्रेजी शराब व 10 पेटी बीयर व ₹26000/- नगद एवं 04 अदद मोबाइल सहित 05 शातिर चोर गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना चौरा पर आवेदक नरेन्द्रनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० राम अर्चज पाण्डेय नारायण कालोनी, ज्ञानपुर भदोही का अमवाकला, चौरा में कम्पोजिट शाप अंग्रेजी शराब एवं वियर की दुकान है। दुकान में दिनांक 09/10.09.2025 की रात्रि लगभग 01 बजे दुकान का ताला तोड़कर 44 पेटी वियर एवं 32 पेटी अंग्रेजी शराब साथ में काउन्टर से नकद राशि भी उठा कर ले गये है। दुकान में CCTV Camera भी लगा हुआ था। उसका DVR भी उठा कर ले गये। चोरी किये गये वियर एवं शराब के मूल्य एवं नकद का विवरण अवलोकन के पश्चात सूचित करेगे। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-142/2025 धारा 305(1), 331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन एवं श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में चोरी पर प्रभावी रोकथाम लगाने तथा चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2025 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद ओझा, उ०नि० गौतम कुमार, मु०आ० अबरार अहमद, का० अरविन्द कुमार, का० सुरेश कुमार, का० विकास जायसवाल, का० उत्कर्ष द्वारा देखभाल क्षेत्र रात्रिगस्त में कंधिया फाटक के पास मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि दिनांक 09/10.09.2025 की रात्रि में ग्राम अमवाँ कला स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के शटर को तोड़कर शराब व बीयर की चोरी करने वाले चोर, चोरी की गयी शराब व बीयर को बेचने की फिराक में ग्राम कछुआ बोझ की तरफ से कंधिया फाटक की तरफ आ रहे हैं। जो भदोही की तरफ जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर कछुआ बोझ रोड पर मेन रोड से करीब 100 मीटर आगे बढ़कर आने वाले वाहन का इन्तजार करने करने के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन वाहन को रोकवाया गया। गाड़ी रूकते ही उसमें बैठे व्यक्ति भागना चाहें परन्तु वे मौके पर ही पकड़ लिए गये। पकड़े हुए व्यक्तियों से पूछा गया कि वाहन में क्या लदा है। तो गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम संजय पाल पुत्र मंगला प्रसाद पाल निवासी ग्राम डुढ़वा धर्मपुर थाना भदोही जिला भदोही उम्र 21 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से

02 अदद मोबाइल फोन तथा 5200/- रूपये नगद बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम सनी पाल पुत्र रामनरायन पाल निवासी ग्राम कल्लीपुर थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी उम्र 22 वर्ष बताया। जिसके पास से एक अदद एंड्राइव मोबाइल तथा 5500/- रू0 नगद बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम अमन कुमार यादव पुत्र महाबली यादव निवासी बरमोहनी थाना भदोही जनपद भदोही उम्र 26 वर्ष बताया। जिसके पास से 4800/- रूपया नगद बरामद हुआ। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम सोहन यादव पुत्र लवलीन यादव निवासी पिपरीश अधारपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र लगभग 21 वर्ष बताया। जिसके पास से 6000/- रूपया नगद तथा एक अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ। पाँचवें व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम आलोक पाल पुत्र सरजू प्रसाद पाल निवासी ग्राम सिंधौरवा थाना जन्सा जनपद वाराणसी तथा मूल पता ग्राम देवरीकाट थाना घोरावल जनपद सोनभद्र बताया। जिसके पास से 4500/- रूपया नगद तथा एक अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये पाँचो व्यक्तियों ने बताया कि इस गाड़ी में चोरी की हुई अंग्रेजी शराब व बीयर लदा है। जो हम पाँचों लोगों ने तथा हमारा एक साथी दया सरोज पुत्र आशाराम सरोज उर्फ लालसाहब निवासी ग्राम अस्ती थानाव जनपद भदोही के साथ मिलकर दिनांक 9/10.09.2025 की रात्रि में इसी गाड़ी से जाकर ग्राम अमवांकला के अंग्रेजी शराब की शटर का ताला तोड़कर दुकान से 44 पेटी बीयर तथा 32 पेटी अंग्रेजी शराब चुराकर तथा दुकान में रखे नगद 5000/- रूपये व CCTV कैमरे का DVR चुराये थे। चुराये हुए शराब व बीयर इसी गाड़ी में लादकर अमवाखुर्द के रास्ते से घूमते हुए चौरी बाजार के पहले पाल तिराहा होते हुए जंसा की तरफ गये। कुछ लोगों से वीयर व अंग्रेजी शराब को बेचने के लिए सम्पर्क किया परन्तु सम्पर्क न हो पाने पर हम लोगों ने चुराई हुई शराब व बीयर को अपने साथी सनी पाल के घर पर छुपाकर रखे थे। जहाँ से हमारा साथी दया सरोज चोरी की हुई अंग्रेजी शराब व बीयर की 08 से 10 पेटी बेचने के लिए ले गया था। तथा शेष माल का कुछ भाग को हम लोगों द्वारा धीरे-धीरे बेचा गया। चोरी का जो शेष माल बचा था उसको आज हम लोग बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पाँचों बताया कि हम पाँचो तथा हमारा साथी दया सरोज मिलकर सम्पतियों को चुराते है। तथा उसे प्राप्त कर अभ्यस्ततः चोरी करके उसे बेचते हैं। हम लोग कई चोरी की घटनाएं कर चुके हैं।

बरामदगी का विवरण:-

एक बोलेरो मैक्स पिकप वाहन बिना नम्बर व 18 पेटी अंग्रेजी शराब व 10 पेटी बीयर व 26000 रूपये नगद एवं 04 अदद मोबाइल मु0अ0सं0 142/2025 धारा 331(4)/305(a) BNS में बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/317(4) बीएनएस से संबंधित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. संजय पाल पुत्र मंगला प्रसाद पाल निवासी ग्राम डुढ़वा धर्मपुर थाना भदोही जिला भदोही उम्र 21 वर्ष।
2. सनी पाल पुत्र रामनरायन पाल निवासी ग्राम कल्लीपुर थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी उम्र 22 वर्ष।
3. अमन कुमार यादव पुत्र महाबली यादव निवासी बरमोहनी थाना भदोही जनपद भदोही उम्र 26 वर्ष।
4. सोहन यादव पुत्र लवलीन यादव निवासी पिपरीश आधारपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र लगभग 21 वर्ष।
5. आलोक पाल पुत्र सरजू प्रसाद पाल निवासी ग्राम सिंधौरवा थाना जन्सा जनपद वाराणसी तथा मूल पता ग्राम देवरीकाट थाना घोरावल जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 24 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम पता:-

1. दया सरोज पुत्र आशाराम सरोज उर्फ लालसाहब निवासी ग्राम अस्ती थाना व जनपद भदोही।

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम:-

उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद ओझा, उ०नि० गौतम कुमार, मु०आ० अबरार अहमद, का० अरविन्द कुमार, का० सुरेश कुमार, का० विकास जायसवाल, एवं का० उत्कर्ष थाना चौरी जनपद भदोही।

